

पञ्जाबी पेश डेरी/ वकील अथवा एडवोकेट
 अथवा अथवा पेश डेरी डा एडवोकेट
 समस्त विषय आदि पञ्जाबी वक्ते पेश
 डेरी अथवा अथवा डे डिनर 27/5/17
 श्री अथवा के अथवा
 सोशलालमुन

श्री अथवा

प्रथी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
 अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
 हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत
 में रेफर किया जाता है। पक्षरान दिनांक 27/5/17
 लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।


श्री अथवा
 श्री अथवा 27/5/17
 श्री अथवा
 श्री अथवा

पञ्जाबी अथवा राज स्व लीड अथवा अथवा
 आथवा डेरी आथवा अथवा अथवा

अब अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोगुडा

खमली वाम वनाम जवला

किस्म मुकदमा 212 R.T. 44 नं. 56/2013 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>में पेथ ड्री/ब्राथीया एवं डायरिजिना एवं इयोलिया। पस डारान इल वल के नि ल्ला लल वल वल अल जियल के मोडे एवं रेड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु सहायत है। अल पस डारान के निवेदन पर डायरीया स्वीकार किया जाता है एवं मोडा या लीला पल्ला के पुनावली में रखे ल वल वल वल के मोडे एवं रेड की यथावत स्थिति मूल वल के नि ल्ला लल वल बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को जरिये आस्था के निवे धारणा से पल्ला लिये जाता है। पगावली निमित्त होड संस्था से कम ली।</p> <p>निमित्त सुलगावली</p> <p></p> <p>उप खण्ड अधिकारी गोगुडा जिला, उदयपुर</p>	